BC

16

(12)

मध्यप्रदेश शासन

आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश में अध्ययन हेतु पिछड़ा वर्ग को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना वर्ष 1988–89 तथा आगे छात्रवृत्ति देने को शासित करने वाले विनियम :—

(जुलाई, 1988 से लागू)

1. उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सकें।

2. व्याप्ति :

ये छात्रवृत्तियां मध्यप्रदेश में अध्ययन करने के लिए पिछड़ा वर्ग के उन छात्र/छात्राओं को देय होंगी जो मध्यप्रदेश राज्य के वास्तविक निवासी हो अर्थात् वे यहां स्थाई रूप से रहने लगे हों।

3. पात्रता की शर्तें :

(एक) ये छात्रवृत्तियां मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से स्थाई निवास करने वाले उन छात्र/छात्राओं को जो कि मध्यप्रदेश राज्य द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग के हों, देय होंगी। मध्यप्रदेश राज्य द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग की सूची (सहपत्र-एक) संलग्न है।

(दो) ये छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़ मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर तथा माध्यमिकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये दी जावेगी :

"अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के पाठ्यक्रमों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के शिल्प पाठ्यक्रमों जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिये ये छात्रवृत्तियां नहीं दी जावेगी"

(तीन) केवल वे ही उम्मीदवार, जो राज्य क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों तथा जो वहां वस्तुतः निवास करते हों अर्थात् जो वहां स्थायी रूप से बस गये हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या विश्वविद्यालय या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, इसके पात्र होंगे।

(चार) ऐसे उम्मीदवार, जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें, उदाहरणार्थ इन्टर साइन्स के बाद इन्टर आर्ट्स करने लगे या बी. काम के बाद बी. ए. करने लगे या एक विषय में एम. ए. करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम. ए. करने लगे, इसके पात्र नहीं होंगे।

(पांच) ऐसे उम्मीदवार, जो किसी एक व्यवसाय में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद किसी दूसरे व्यवसाय में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिये अध्ययन प्रारम्भ कर दें, जैसे बी. टी./बी. एड. के बाद एल. एल. बी. करने लगे, इसके पात्र नहीं होंगे।

(छः) निरन्तर शाला पाठ्यक्रम होने के कारण उच्चतर माध्यमिक शाला पाठ्यक्रम ग्यारहवीं कक्षा में या बहुउद्देशीय उच्च शाला की बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र नहीं होंगे।

तथापि, उन मामलों में, जिनमें ऐसे पाठ्यक्रमों की दसवीं कक्षा की परीक्षा मैट्रिक के समकक्ष मानी जाती हो, और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों ने अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, ऐसे छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्र समझा जाएगा और वे छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

(सात) चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, बशर्ते उनके अध्ययन काल में उन्हें प्रेक्टिस करने की अनुमति न दी गई हो।

(आठ) ऐसे उम्मीदवारों को जिन्होंने कला/विज्ञान /वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नातक/स्नातकोत्तर या तकनीकी प्रमाण-पत्र पत्रोपाधि/उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, छात्रवृत्ति दी जाएगी, बशर्ते वे अन्यथा रूप से इसके पात्र हों। उसके बाद अनुत्तीर्ण होने की छूट नहीं दी जाएगी (चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को छोड़) और आगे पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(नौ) ऐसे उम्मीदवार, जो पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हों, इसके पात्र नहीं होंगे।

(दस) ऐसे छात्र, जो पूर्णकाल नियोजन में हों, इसके पात्र नहीं होंगे, तथापि, नियोजित छात्र, जिन्होंने पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ले ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हों, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

Scanned by CamScanner

ऐसे नियोजित छात्र, जिनकी आय उनके माता/पिता/अभिभावकों की आय सहित 750 रुपये प्रतिमाह अधिक न हो, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। इसमें मात्र सभी अनिवार्य देय जो वापिस न करने योग्य हों शुल्क की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

(ग्यारह) पत्राचार पाठ्यक्रमों के अध्येता छात्र इसके पात्र नहीं होंगे।

(बारह) एक ही माता/पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह प्रतिबन्ध लड़कियों पर लागू नहीं होगा।

(तेरह) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति प्रदान की गई है तो छात्र दोनों छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति में से किसी एक को, जो भी उसके लिये अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और किए गए विकल्प के बारे में संस्था के प्रधान के माध्यम से प्रदान कर्ता प्राधिकारी को सूचना देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन (किसी भी) छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जावेगा। तथापि, छात्र राज्य शासन से या किसी अन्य स्रोतों से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गई छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।

(चौदह) ऐसे छात्र, जो पहले से ही शासन से वित्तीय सहायता प्राप्त कर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में से किसी एक में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों, पात्र नहीं होंगे।

4. धार्यता :

छात्रवृत्तियाँ केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिये धार्य है।

5. छात्रवृत्ति की रकम :

छात्रवृत्ति की रकम में अनुरक्षण व्यय, फीस तथा अनुमोदित अध्ययन दौरे तथा शोध प्रबंध के मुद्रलेखन तथा मुद्रण पर होने वाले व्यय शामिल है :--

ब्यौरे नीचे दिए गये हैं

(एक) (1)

अनु.	समूह	अध्ययन का वर्ष	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिमाह)			
			छात्रावास में रहने वाले		छात्रावास में न रहने वाले	
			छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1.	समूह "अ"					
	(1) मेडिकल तथा इंजीनियरी	प्रथम वर्ष	210	220	100.	110
		द्वितीय वर्ष	210	225	100	115
	(2) बी. व्ही. एस. सी. तथा बी. एस. सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
		द्वितीय वर्ष	185	200	100.	115
2.	समूह "आ" डिप्लोमा कोर्सेस-इंजीनियरी, मेडिकल, टेकनालाजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस आदि	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
		द्वितीय वर्ष	130	145	105	120
3.	समूह "इ" सर्टिफिकेट कोर्सेस, इंजीनियरी, मेडिकल, टेकनालाजी तथा पोस्टग्रेजुएट इन आर्टस एण्ड कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
		द्वितीय वर्ष	130	145	105	115
4.	समूह "ई" जनरल कोर्सेस अण्डर ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
		द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
5.	समूह "उ"					
	कक्षा 11वीं		100	110	50	60
	कक्षा 12वीं		100	110	55	70

Scanned by CamScanner

शोध छात्रों को प्रथम वर्ष में "पाठक" पर होने वाले खर्च के रूप में 25 रुपये प्रति माह की तथा दूसरे एवं बाद के वर्षों में 35 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त रकम दी जाएगी।

(2) फीस:--छात्रों को नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनियन, पुस्तकालय पत्र-पत्रिकाएं, चिकित्सा-जांच फीस का तथा संस्था या विश्वविद्यालय/मंडल को छात्र द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली ऐसी अन्य फीस का भुगतान किया जाएगा। यद्यपि इसमें अवधान राशि, प्रतिभूति जमा जैसी वापसी योग्य जमा रकम में शामिल नहीं होगी।

(3) अध्ययन दौरा:--व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्रों को अध्ययन दौरा व्यय दिया जाएगा जो अधिक से अधिक 100 रुपये प्रतिवर्ष तक तथा रेल/बस किराया, तांगा व्यय आदि पर छात्र द्वारा किये गये वास्तविक व्यय तक सीमित होगा, बशर्ते संस्था-प्रमुख यह प्रमाणित करें कि अध्ययन दौरा छात्र/छात्रा के अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

(4) शोध प्रबन्ध के मुद्रलेखन/मुद्रण का व्यय:--संस्था प्रमुख की सिफारिश पर शोध छात्रों को अधिक से अधिक 100 रुपये तक का मुद्रलेखन/मुद्रण व्यय भी दिया जाएगा।

(दो) उन छात्रों को, जो मुफ्त भोजन/तथा/या आवास के हकदार हैं, छात्रावास निवासी के दर के एक तिहाई के हिसाब से भरण-पोषण व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(तीन) पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां निम्नलिखित "साधन-परीक्षण" के अनुसार दी जावेंगी।

(क) उन छात्रों के मामले में जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय सभी स्रोतों से 750 रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो—पूरा निर्वाह भत्ता तथा पूरी फीस।

(ख) उन छात्रों के मामले में, जिनके माता/पिता/अभिभावक की आय सभी स्रोतों से 750 रुपये प्रतिमाह से अधिक हो किन्तु 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो --

(एक)	समूह "अ" पाठ्यक्रम	पूरा निर्वाह भत्ता तथा पूरी फीस।
(दो)	समूह "आ," "इ", "ई" तथा "उ" ..	आधा निर्वाह भत्ता तथा पूरी फीस।

(ग) उन छात्रों के मामले में जिनके माता पिता/अभिभावक की आय सभी स्रोतों से 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक हो। — कोई छात्रवृत्ति नहीं।

(घ) उन छात्रों के मामले में, जो पूर्ण कालिक नियोजन में हो। .. कोई छात्रवृत्ति नहीं।

टीप:—(1) उन माता-पिता/अभिभावकों के पाल्य छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे, जिनके पाल्यों की संख्या दो से अधिक न हो। उन माता-पिता/अभिभावकों द्वारा की गई घोषणा, कि उनके दो से अधिक बालकों ने छात्रवृत्ति का उपभोग नहीं किया है या कर रहे हैं, पर्याप्त होगी।

टीप:—(2) जब तक माता-पिता में से कोई एक (या विवाहित बेरोजगार छात्रा के मामले में पति) जीवित हो, तो केवल माता-पिता/पति (यथा-स्थिति) की सभी स्रोतों से आय ही ली जानी चाहिये न कि अन्य सदस्यों की आय, भले ही वे कमा रहे हों आय की घोषणा वाले फार्म में आय इसी आधार पर घोषित की जानी चाहिए। केवल ऐसे मामले में जहां दोनों माता-पिता (बेरोजगार विवाहित छात्रा के मामले में पति) मर चुके हों तब उस अभिभावक की आय ली जानी चाहिए जो उस छात्र/छात्रा के अध्ययन में सहायता कर रहा हो।

टीप:—(3) किसी छात्र के माता-पिता द्वारा प्राप्त गृह भाड़ा भत्ते को आय का हिसाब लगाते समय उसमें शामिल नहीं किया जायेगा, बशर्ते उसे कर के प्रयोजन के लिए छूट दी गई हो।

(चार) सामान्यत: "छात्रावास" शब्द शिक्षण संस्था प्राधिकारियों के पर्यवेक्षणाधीन चलाए जा रहे छात्रों के सामान्य आवासीय भवन तथा सामान्य मेस के लिए उपयोग में लाया जाता है यदि महाविद्यालयीन प्राधिकारी महाविद्यालय छात्रावास में आवास व्यवस्था करने में असमर्थ हो तो कोई भी अनुमोदित निवास-स्थान इस योजना के प्रयोजन के लिए छात्रावास माना जायेगा। ऐसा स्थान समुचित निरीक्षण के पश्चात् तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों तथा विनियमों को दृष्टि में रखते हुए संस्था प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। ऐसे मामलों में इस आशय का प्रमाण-पत्र कि, छात्र को महाविद्यालय छात्रावास में स्थान नहीं मिलने से वह अनुमोदित निवास स्थान में रह रहा हो संस्था प्रमुख द्वारा दिया जाना चाहिए।

Scanned by CamScanner

उम्मीदवारों का चयन :

पिछड़ा वर्ग के समस्त पात्र उम्मीदवारों को विनियम 5. (तीन) में विहित साधन परीक्षण के अध्यधीन छात्रवृत्तियां दी जायेंगी।

7. छात्रवृत्ति की अवधि तथा नवीनीकरण :

(एक) एक बार दी गई छात्रवृत्ति उस समय से, जब वह दी गई, पाठ्यक्रम पूरा होने तक चालू रहेगी। शर्त केवल यह है कि आचरण अच्छा रहे तथा उपस्थिति में नियमितता बरती जाये। उसे प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जावेगा, बशर्ते उस पाठ्यक्रम के दौरान जो वर्षो चलना है छात्र को इस तथ्य के बावजूद कि उसे ऐसी छूट विश्वविद्यालय द्वारा या संस्था द्वारा दी जाती है, उच्चतर कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाता है।

(दो) यदि कोई पिछड़ा वर्ग का छात्र जो चिकित्सा और इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में पढ़ रहा हो, पहली बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए तो छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सकती है। किसी भी कक्षा में दूसरी बार और उसके बाद अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को तब तक अपना खर्च वहन करना होगा जब तक कि वह अगली कक्षा में न चढ़ जाय।

(तीन) यदि कोई छात्र बीमारी के कारण वार्षिक परीक्षा में न बैठ सके, तो संस्था के प्रमुख के समाधान एवं चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर और उसके द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठा होता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिये स्वीकृत की जा सकेगी।

(चार) यदि किसी विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार कोई छात्र अगली उच्च कक्षा में चढ़ा दिया जाय, भले ही वह निचली कक्षा में वस्तुतः उत्तीर्ण न हुआ हो और उसे कुछ समय बाद फिर निचली कक्षा की परीक्षा आवश्यक हो तो वह उस कक्षा के लिये छात्रवृत्ति का हकदार होगा जिसमें वह चढ़ा दिया गया है, यदि छात्र अन्यथा रूप से छात्रवृत्ति का पात्र हो।

8. भुगतान :—

(एक) निर्वाह व्यय एक अप्रैल या प्रवेश के माह से जो भी बाद में हो उस माह तक जिसमें शैक्षणिक वर्ष के अन्त में परीक्षायें समाप्त हों, भुगतान योग्य हैं (छुट्टियों में पोषण व्यय सहित) परन्तु यदि छात्र किसी माह के 20 दिन बाद प्रवेश पाता है तो स्वीकृति भुगतान प्रवेश के माह के अगले माह से की जायेगी।

(दो) पिछले वर्ष में दी गई छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में, निर्वाह व्यय का भुगतान उस माह के बाद से किया जाएगा जिस तक पिछले वर्ष में छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका था, यदि अध्ययन लगातार चल रहा हो।

(तीन) सभी छात्रों से स्वीकृति पोषण भत्ते में से पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि खरीदने की अपेक्षा की जाती है। यदि संबंधित संस्था प्रमुख को यह पता चले कि छात्र के पास पाठ्य-पुस्तकें लेखन-सामग्री आदि नहीं हैं तो छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के विवेकानुसार छात्रवृत्ति की राशि कम की जा सकेगी।

(चार) यदि किसी छात्र को इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक या अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता/शिष्यवृत्ति मिलती हो, तो उसे एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप, हाउसमेनशिप या अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण की अवधि के लिये छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जावेगा।

9. छात्रवृत्ति देने के लिये अन्य शर्तें :—

छात्रवृत्ति का दिया जाना छात्र की संतोषप्रद प्रगति तथा आचरण पर निर्भर करता है। यदि किसी समय संस्था प्रमुख द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कोई छात्र अपने कार्य या चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है और किसी कदाचरण का दोषी है जैसे हड़ताल करना या उसमें भाग लेना, संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बिना उपस्थित होने में अनियमितता बरतना आदि तो छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकेगा या बन्द कर सकेगा या ऐसी अवधि के लिए उसका आगे का भुगतान रोक सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(दो) यदि यह पता चले कि उम्मीदवार ने मिथ्याकथन द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त की है, तो उसकी छात्रवृत्ति तुरन्त रद्द कर दी जायगी और भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि राज्य शासन के निर्देशानुसार वसूल की जाएगी। संबंधित छात्र का नाम काली सूची में दर्ज किया जावेगा और उसे किसी भी योजना में सदैव के लिये छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जावेगा।

(तीन) यदि कोई छात्र अध्ययन पाठ्यक्रम के विषय को बदलता है जिसके लिये मूलतः उसे छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी अथवा राज्य शासन पूर्वानुमोदन के बिना अपनी अध्ययन संस्था को बदलता है तो उसे दी गई कोई भी छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है। संस्था प्रमुख शासन को ऐसे मामलों की सूचना देगा और छात्र-वृत्ति की राशि का भुगतान बन्द कर देगा। पूर्व में भुगतान की गई राशि भी राज्य शासन के विवेकानुसार वसूल की जा सकेगी।

Scanned by CamScanner

(चार) यदि छात्र अध्ययन वर्ष के दौरान, अपना अध्ययन जिसके लिए उसे छात्रवृत्ति दी गई थी, बन्द कर देता है, तो राज्य शासन के विवेकानुसार वह छात्रवृत्ति की राशि लौटाने के लिए बाध्य होगा।

(पांच) राज्य सरकार के विवेकानुसार कोई भी विनियम किसी भी समय बदला जा सकता है।

10. आवदन करने की प्रक्रिया :--

(एक) छात्रवृत्ति के लिए प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा संस्था प्रमुख को एसे निर्धारित प्रारूप में, ऐसे प्रमाण-पत्रों/सहपत्रों सहित और ऐसी समयावधि में आवेदन किया जावेगा जो समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित किये जांय।

(दो) निर्धारित समयावधि के बाद किये गए आवेदनों या अपूर्ण आवेदनों या निर्धारित प्रमाण-पत्रों/सहपत्रों के बगर किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

Scanned by CamScanner